SA-510 (R)
प्रारंभिक अंकेक्षण नियुक्तियॉ–प्रारंभिक शेष

प्रश्नः 01 प्रारंभिक नियुक्ति क्या हैं?

उत्तरः SA-510(R) के अनुसार, प्रारंभिक अंकेक्षण नियुक्ति से आशय एक ऐसी नियुक्ति से है जिसमें :–

01. पूर्व अवधि के वित्तीय विवरण या तो अंकेक्षित नहीं होते है, या
02. पूर्व अवधि के लिये वित्तीय विवरण एक पूर्ववर्ती अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षित किये गये हैं।

प्रश्नः 02 प्रारंभिक शेष से क्या आशय हैं?

उत्तरः SA-510(R) के अनुसार प्रारंभिक शेष से आशय उन लेखा शेषों से हैं जो अवधि के प्रारंभ में विद्यमान हैं। प्रारंभिक शेष चालू अवधि में लाये गये विगत अवधि के वो अंतिम शेष हैं जो निम्न के प्रभावों को प्रस्तुत करते हैं :–

01. विगत अवधियों के लेनदेन तथा अन्य घटनायें
02. विगत अवधि में लागू की गई लेखांकन नीतियॉ। प्रारंभिक शेष में वह विषय भी शामिल होते हैं जो कि अवधि के प्रारंभ में विद्यमान थे , जैसे कि आकस्मिकतायें तथा वायदें (Commitments)

प्रश्नः 03 प्रारंभिक शेष के संबंध में अंकेक्षक के क्या दायित्व होते हैं?

उत्तरः SA-510(R) में अंकेक्षक के निम्नांकित दायित्व हैं :–

01. <u>तत्कालीन वित्तीय विवरण को पढ़ना :–</u>

अंकेक्षक को सबसे नवीन (Most recent) वित्तीय विवरण को पढ़ना चाहिये , यदि कोई हो तो , तथा साथ ही पूर्ववर्ती अंकेक्षक द्वारा उस पर दी जाने वाली रिर्पोट को भी पढ़ना चाहिये यदि कोई हों तो ताकि वह प्रारंभिक शेष से संबंधित जानकारी उसमें शामिल किये गये प्रकटीकरण के साथ प्राप्त कर सकें।

02. <u>पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करना :–</u>

अंकेक्षक को इस बारे में पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिये कि क्या प्रारंभिक शेषों में कोई मिथ्यावर्णन शामिल हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

उसे सुनिश्चित करना चाहिये कि क्या विगत अवधि के अंतिम शेष भली प्रकार से आगे लाये गये हैं अथवा जब उचित हो , किसी समायोजन को चालू अवधि के लाभ–हानि के विवरण में एक पूर्व अवधि मद की तरह अभिव्यक्त किया गया है।

उसे यह सुनिश्चित करना चाहिये कि क्या प्रारंभिक शेष उचित लेखांकन नीतियों के पालन को दर्शाते हैं।

निम्न में से किसी एक अथवा अधिक के निष्पादन द्वारा भी वह पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य जुदा सकता है :–

01. जहॉ पूर्व अवधि के वित्तीय विवरण अंकेक्षित किये जा चुके हैं , उस स्थिति में अंकेक्षित वित्तीय विवरणों की प्रतिलिपी का अवलोकन करके जिसमें अन्य संबंधित प्रलेख भी शामिल हैं।
02. यह मूल्यांकित करके कि क्या चालू अवधि में अंकेक्षण प्रविधियॉ निष्पादित की गई हैं वह प्रारंभिक शेष के संबंध में साक्ष्य प्रदान करती हैं। अथवा
03. प्रारंभिक शेष से संबंधित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिये विशिष्ट अंकेक्षण प्रविधियों का निष्पादन करके।

प्रश्नः 04 उन अतिरिक्त अंकेक्षण प्रविधियों का वर्णन कीजिये जब यदि पूर्व अवधि के वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण नहीं किया गया है अथवा यदि अंकेक्षित हैं तब भी अंकेक्षक के लिये अन्य अंकेक्षण प्रविधियों को लागू करना अनिवार्य हैं?

उत्तरः यदि पूर्व अवधि के वित्तीय विवरण एक पूर्ववर्ती अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षित किये जा चुके हैं तो अंकेक्षक , अंकेक्षित किये जा चुके हैं , तो अंकेक्षक , अंकेक्षित वित्तीय विवरणों की प्रतियों को देखकर प्रारंभिक शेषों के बारे में पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य जुटा सकता है जिसमें पूर्व अवधि से संबंधित अन्य प्रलेख भी शामिल हैं जो कि अंकेक्षित वित्तीय विवरणों को समर्थित अनुसूचियॉ (Supporting schedual) होती है। सामान्यतः एक चालू अंकेक्षक पूर्व अवधि के वित्तीय विवरणों में शामिल अंतिम शेषों पर विश्वास कर सकता है जब तक चालू अवधि के लिये अंकेक्षण प्रविधियों के निष्पादन के दौरान प्रारंभिक शेषों में मिथ्यावर्णन होने की संभावना न दिखे। निम्नांकित प्रविधियॉ लागू की जा सकती हैं यदि पूर्व अवधि के वित्तीय विवरण अंकेक्षित नहीं है अथवा यदि उनका अंकेक्षण किया गया है तब भी वह अतिरिक्त प्रविधियों को लागू करना चाहता हैः–

<u>01 चालू संपत्तियॉ तथा दायित्वः–</u>

प्रारंभिक शेष के बारे में साक्ष्य, चालू अवधि की अंकेक्षण प्रविधियों के एक भाग के रूप में प्राप्त किये जा सकते है। उदाहरण के लिये, चालू अवधि के दौरान देनदारों तथा लेनदारों के प्रारंभिक शेषों की उणाही तथा

CA Aseem Trivedi

भुगतान ऐसे बहुत से अंकेक्षण साक्ष्य प्रदान करेंगे जो अवधि के प्रारंभ में उनकी विद्यमानता अधिकारों तथा दायित्वों उनकी पूर्णता तथा मूल्यांकन का संदर्भ है।

02. रहतियाः–

जब अंतिम रहतिये के शेष पर चालू अवधि की अंकेक्षण प्रविधियॉ लगाई जाती है त बवह प्रारंभिक अवधि के रहतिये के संबंध में कुछ साक्ष्य प्रदान करती है। इसलिये, अतिरिक्त अंकेक्षण प्रविधियॉ आवश्यक होती है। तथा निम्नलिखित में से एक अथवा अधिक पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य प्रदान कर सकती है।

अ. चालू अवधि के लिये गणना की गई भौतिक रहतिये का मूल्यांकन करना तथा उसका प्रारंभिक रहतिये की मात्रा के साथ मिलान करना।

ब. प्रारंभिक रहतिये की मदों के मूल्यांकन पर अंकेक्षण प्रविधियों का निष्पादन करना।

स. कट–ऑफ तथा सकल लाभ पर अंकेक्षण प्रविधियों का निष्पादन करना।

03. अन्य संपत्तियॉ तथा दायित्वः–

स्थायी संपत्तियों , प्लाण्ट तथा Equipment निवेश तथा दीर्घकालीन ऋण इत्यादि की दशा में , कुछ अंकेक्षण साक्ष्य प्रारंभिक शेषों के रिकॉर्ड तथा उनमें शामिल अन्य सूचनाओं का परीक्षण करके प्राप्त किये जा सकते है। कुछ दशाओं में अंकेक्षक प्रारंभिक शेषो के संबंध में , तृतीय पक्षकारों के साथ पुष्टीकरण करके भी अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त कर सकता है , उदाहरण के लिये दीर्घकालीन ऋण तथा निवेश। कुछ अन्य दशाओं में अंकेक्षक के लिये यह आवश्यक हो सकता है कि वह कुछ अतिरिक्त अंकेक्षण प्रक्रियाओं को लागू करे।

प्रश्नः 05 कैसे एक अंकेक्षक प्रारंभिक शेषों पर निष्कर्ष निकालता हैं तथा उस पर प्रतिवेदन देता है?

उत्तरः निष्कर्ष निकालने तथा प्रतिवेदन देने के लिये निम्नलिखित तीन परिस्थितयॉ उत्पन्न हो सकती हैः–

01. **यदि अंकेक्षक पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य पाने में असफल रहता हैः–**
इस दशा में अंकेक्षक को प्रस्तावित SA-705 के अनुसार एक मर्यादित विचार अथवा राय की मनाही देना चाहिये, जैसा भी उचित हो।

02. **यदि अंकेक्षक यह निष्कर्ष निकालता है कि प्रारंभिक शेषों में मिथ्यावर्णन का समावेश हैः–**
यदि ऐसा मिथ्यावर्णन चालू अवधि के वित्तीय विवरणों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते है, तथा मिथ्यावर्णन के प्रभाव को उचित रूप से प्रदर्शित अथवा अभिव्यक्त नहीं किया गया है तो प्रस्तावित SA-705 के अनुसार , अंकेक्षक को एक मर्यादित राय अथवा विपरीत राय देना चाहिये, जैसा भी उचित हो।

03. **लेखांकन नीतियों के बारे में निष्कर्षः–**
यदि अंकेक्षक यह निष्कर्ष निकालता है किः–

(A) प्रारंभिक शेषों के संबंध में , चालु वर्ष की लेखांकन नीतियों का , लागू होने वाले वित्तीय प्रतिवेदन की संरचना के अनुसार सतत रूप से पालन नहीं किया गया है, अथवा

(B) लेखांकन नीतियों में परिवर्तन को उचित रूप से लेखांकित नहीं किया गया है अथवा उन्हें लागू होने वाली वित्तीय प्रतिवेदन संरचना के अनुसार उचित रूप से प्रदर्शित अथवा अभिव्यक्त नहीं किया गया है। तो अंकेक्षक को प्रस्तावित SA-705 के अनुसार एक मर्यादित विचार अथवा एक विपरीत विचार देना चाहिये जैसा भी उचित हो।

CA Aseem Trivedi